

ईसीजीसी लिमिटेड के लिए कंपनियों के अधिनियम, 2013 के 204 में सेक्रेटरी ऑडिट यू / 204 के अनुपालन को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध।

क्र. सं.	सुधार और स्पष्टीकरण	
1.	पृष्ठ 10- अनुलग्नक I, क्र. सं.. 10 धन कर अधिनियम, 1957	धन कर अधिनियम, 1957 को हटाया गया है.

निविदा विनिर्देश उपरोक्त सीमा तक बदल जाएगा।

ईसीजीसी लिमिटेड के लिए कंपनियों के अधिनियम, 2013 के 204 में सेक्रेटेरियल ऑडिट यू / 204 के अनुपालन को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन के लिए प्रत्यावेदन।

क्र. सं.	सवाल	स्पष्टीकरण
1.	पृष्ठ 14- अनुलग्नक III, क्र. सं.. 13 फर्म का कारोबार – आईटीआर के अनुसार	उल्लिखित क्र. सं के लिए आईटीआर या बैलेंस शीट दोनों पर विचार किया जाएगा।